

## परिपत्र

सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी\_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655

03 नवंबर, 2021

सेवा में

सभी पंजीकृत रजिस्ट्रार के निर्गम और शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए)

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से सभी सूचीबद्ध कंपनियां

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज

सभी मान्यता प्राप्त निक्षेपागार

निक्षेपागारों के माध्यम से निक्षेपागार सहभागी

महोदय / महोदया,

आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को संसाधित करने के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंड और पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंड

1. प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए चल रहे उपाय के रूप में, उपरोक्त मामले से संबंधित निम्न मानदंड लागू होंगे;

- 1.1. आरटीए द्वारा कैप्शन वाली वस्तुओं से संबंधित धारक से किसी भी सेवा अनुरोध को संसाधित करने के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंड
- 1.2. निवेशक के प्रश्नों, शिकायतों और सेवा अनुरोध को संसाधित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरफ़ेस
- 1.3. भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना
- 1.4. वैध पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना फोलियो को फ्रीज करना
- 1.5. भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों द्वारा पैन और आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ना

2. निवेशक सेवा अनुरोध को संसाधित करने के लिए मानकीकृत, सरलीकृत और सामान्य मानदंड

आरटीए के साथ भौतिक रूप के इंटरफ़ेस में प्रतिभूतियों को रखने वाले निवेशक, अन्य बातों के साथ-साथ

i) का पंजीकरण / में परिवर्तन / का अद्यतन: क) पैन, ख) नामिती, ग) संपर्क विवरण (डाक पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल), डी) बैंक विवरण और इ) हस्ताक्षर।

ii) निम्नलिखित के लिए अनुरोध का प्रसंस्करण: क) डुप्लीकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करना ख) प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का प्रतिस्थापन/नवीकरण/विनिमय, ग) प्रतिभूति प्रमाणपत्र का समेकन घ) प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभाजन, ङ) फोलियो का समेकन, च) पृष्ठांकन, छ) धारक के नाम में परिवर्तन, ज) अवयस्क से प्रमुख और निवासी से अनिवासी भारतीय में स्थिति में परिवर्तन और इसके विपरीत, झ) गैर-वितरित प्रतिभूति प्रमाण पत्र के लिए दावा, इसके हस्तांतरण से पहले दावा न किए गए उच्चत खाते, ञ) दावारहित उच्चत खाते से दावा (डीमैट) खाता ट) संचरण और ठ) प्रतिस्थापन।

iii) डीमैट और रीमैट के लिए निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के माध्यम से सेवाएं

इस संबंध में, उपर्युक्त सहित निवेशक सेवा अनुरोधों को संसाधित करने के मानदंड निम्नानुसार मानकीकृत, सरलीकृत और सभी सेवा अनुरोधों में निम्नानुसार सामान्य बनाए गए हैं;

### 2.1. हस्ताक्षर में मामूली विसंगति

क) आरटीए के फोलियो में उपलब्ध प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर और वर्तमान हस्ताक्षर में मामूली विसंगति के मामले में, आरटीए, सेवा अनुरोध को संसाधित करते समय, धारक को स्पीड पोस्ट द्वारा हस्ताक्षर में मामूली विसंगति के बारे में सूचित करेगा, आपत्ति करने के लिए 15 दिनों की समय-सीमा प्रदान करना, यदि कोई हो। किसी भी आपत्ति के अभाव में, सेवा अनुरोध को संसाधित किया जायेगा।

ख) यदि पत्र डिलीवर नहीं हुआ है या यदि कोई आपत्ति है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आरटीए सेवा अनुरोध को आगे बढ़ाने से पहले बैंकर द्वारा हस्ताक्षर सत्यापन प्राप्त करेगा।

### 2.2. हस्ताक्षर में बड़ी विसंगति या हस्ताक्षर कार्ड उपलब्ध नहीं

आरटीए के फोलियो और वर्तमान हस्ताक्षर में उपलब्ध धारक के हस्ताक्षर में बड़ी विसंगति होने की स्थिति में या यदि वह आरटीए के पास उपलब्ध नहीं है, तो धारक / दावेदार को [फॉर्म आईएसआर-2](#) के अनुसार निरस्त मूल चेक और बैंकर द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर प्रस्तुत करें।

### 2.3. नाम में विसंगति

क) किसी भी सेवा अनुरोध के लिए धारक / दावेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के किन्हीं दो सेटों के बीच नाम में मामूली विसंगति के लिए, आरटीए नामों में अंतर को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक अतिरिक्त रूप से प्राप्त करेगा;

- विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) (आधार)
- वैध पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- फोटोग्राफ के साथ पैन कार्ड
- आवेदक के फोटो के साथ पहचान पत्र / दस्तावेज, निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी: केंद्र / राज्य सरकार और उसके विभाग, वैधानिक / नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान।
- विवाह प्रमाण पत्र
- तलाक डिक्री

ख) डीमैट अनुरोध को संसाधित करने के लिए निक्षेपागार के मौजूदा मानदंड, जहां आद्याक्षर के कारण मामूली विसंगति हो, या उपनाम के बाद या उपनाम से पहले रखा गया हो, डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) में हस्ताक्षर प्रदान किया गया हो जो आरटीए के साथ हस्ताक्षर कार्ड के साथ मेल खाता हो, लागू रहेगा।

## 2.4. पै न प्रस्तुत करना

क) [परिपत्र दिनांक 27 अप्रैल 2007](#) के अनुसार प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेन के लिए पै न अनिवार्य है और यह पहचान के प्रमाण के लिए भी एक दस्तावेज है। तदनुसार, यह दोहराया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों और दावेदारों के लिए पै न प्रस्तुत करना अनिवार्य है और आरटीए के लिए आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा के माध्यम से पै न विवरण सत्यापित करना अनिवार्य है। इस संबंध में, सेबी पंजीकृत आरटीए को आईटीडी द्वारा अपनी 'ऑनलाइन पै न ब्लक वेरिफिकेशन' (पीबीवी) सुविधा के माध्यम से पै न सत्यापित करने के लिए एक पात्र एंटीटी के रूप में अधिकृत किया गया है।

ख) इसके अतिरिक्त, [सेबी परिपत्र संख्या एमआईआरएसडी/एसई /परिपत्र-21/2011 दिनांक 05 अक्टूबर](#) के अनुलग्नक - 1 में 'केवाईसी फॉर्म भरने के लिए निर्देश/जांच सूची' के खंड घ में दिए गए अनुसार 'पै न के लिए छूट/स्पष्टीकरण' प्रतिभूति बाजार के लिए यूनिफॉर्म नो योर क्लाइंट (केवाईसी) आवश्यकताएँ, भौतिक मोड में धारित प्रतिभूतियों के धारक(कों) / दावेदार(रों) के लिए भी लागू होंगी।

## 2.5. पते के प्रमाण के लिए दस्तावेज

2.5.1. यदि पता फोलियो में उपलब्ध नहीं है या इसके परिवर्तन के अनुरोध को संसाधित करने के लिए आरटीए धारक/दावेदार से निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्राप्त करेगा;

क) वैध पासपोर्ट/पंजीकृत पट्टा या निवास की विक्री करार/ड्राइविंग लाइसेंस/फ्लैट रखरखाव बिल।

ख) यूटिलिटी बिल जैसे टेलीफोन बिल (केवल लैंड लाइन), बिजली बिल या गैस बिल - 3 महीने से अधिक पुराना नहीं।

ग) निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी किए गए पते के साथ पहचान पत्र / दस्तावेज: केंद्र / राज्य सरकार और उसके विभाग, सांविधिक / नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान

घ) एफआईआई / उप खाते के लिए, अधिकार पत्र एफआईआई/उप-खाते द्वारा अभिरक्षकों को दिया गया (जो विधिवत नोटरीकृत और/या प्रेरित या कांसुलीकृत हैं) जो पंजीकृत पता देता है, उसे लिया जाना चाहिए।

ङ) पति या पत्नी के नाम पर पते का प्रमाण।

च) निक्षेपागार सहभागी द्वारा उपलब्ध कराए गए धारक/दावेदार के डीमैट खाते की क्लाइंट मास्टर लिस्ट (सीएमएल)।

2.5.2. आरटीए तत्काल परिवर्तन के अनुरोध के बारे में पुराने और नए दोनों पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा सूचना भेजेंगे, बशर्ते आपत्ति करने के लिए 15 दिनों की समय सीमा है, यदि कोई हो।

क) किसी भी आपत्ति के अभाव में, अनुरोध पर कार्रवाई की जाएगी।

ख) यदि पत्र में से कोई एक यदि पत्र डिलीवर नहीं हुआ है या यदि कोई आपत्ति है, तो आरटीए कंपनी से प्राप्त लाभांश वारंट के फोलियो या काउंटरफाइल में उपलब्ध पुराने पते को दर्शाने वाले उपरोक्त दस्तावेजों में से किसी एक को प्राप्त करेगा या लाभांश के क्रेडिट को बैंक स्टेटमेंट दिखाएगा।

## 2.6. शपथ पत्र, सत्यापन / नोटरीकरण को बदलने के लिए स्व-सत्यापन

सभी सेवा अनुरोधों के लिए, पारोषण को छोड़कर, दस्तावेजों की प्रतियां जिन्हें हार्ड कॉपी में सम्मिलित किया गया है, आरटीए द्वारा संसाधित किया जाएगा, यदि वही धारक (कों) द्वारा दिनांक के साथ स्व-सत्यापित है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आरटीए हलफनामे या दस्तावेजों के सत्यापन / नोटरीकरण पर जोर नहीं देगा।

## 2.7. क्षतिपूर्ति

आरटीए किसी भी सेवा अनुरोध के लिए क्षतिपूर्ति पर जोर नहीं देगा, जब तक कि यह विशेष रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 या उसके तहत जारी नियमों या सेबी विनियमों या उसके तहत जारी परिपत्रों में नहीं दिया गया हो।

## 2.8. निवेशक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए फॉर्म

आरटीए इस परिपत्र में विधिवत भरे हुए अनुरोध फॉर्म आईएसआर -1 (पीडीएफ) (वर्ड फाइल) को स्वीकार करके सभी निवेशक सेवा अनुरोधों को संसाधित करेगा। सूचीबद्ध कंपनियां और आरटीए इस फॉर्म को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगी।

## 2.9. आरटीए द्वारा धारक के सभी फोलियो में केवाईसी विवरण अनुरक्षित किया जाता है

आरटीए अपने द्वारा प्रबंधित धारक के सभी फोलियो में पैन और केवाईसी विवरण को धारक से विशिष्ट प्राधिकरण पर दिये गए, फॉर्म आईएसआर -1 (पीडीएफ) (वर्ड फाइल) के अनुसार अद्यतन करेगा।

इस संबंध में, आरटीए धारक के फोलियो(यों) को 1) वर्तमान पते, 2) बैंक विवरण, 3) ई-मेल का पता 4) क्लाइंट मास्टर लिस्ट में उपलब्ध विवरण से जानकारी के साथ अद्यतन करेगा ( सीएमएल), यदि धारक/दावेदार सीएमएल प्रदान करता है।

## 2.10. निवेशकों द्वारा दस्तावेज/विवरण प्रदान करने का मोड

आरटीए धारक/दावेदार को निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से उपरोक्त दस्तावेज/विवरण प्रदान करने में सक्षम बनाएगा ;

- क) 'इन पर्सन वेरिफिकेशन' (आईपीवी) के माध्यम से: आरटीए का अधिकृत व्यक्ति निवेशक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और तारीख तथा आद्याक्षर के साथ आईपीवी मुद्रण के साथ प्रतिलिपि (यों) को बनाए रखेगा।
- ख) हार्ड कॉपी के माध्यम से जो स्व-सत्यापित और दिनांकित हैं
- ग) इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से ई-साइन के साथ, जैसा कि बाद में विस्तार से बताया गया है।

## 2.11. पैन, केवाईसी और नामांकन में पंजीकरण/अद्यतनीकरण/परिवर्तन के लिए समयसीमा

आरटीए पूर्ण दस्तावेज/विवरण प्राप्त होने के सात कार्यशील दिनों के भीतर धारक से उपरोक्त किसी भी अनुरोध को संसाधित करेगा।

हालाँकि, जैसा कि समय-समय पर संशोधित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 19 (10) में बताया गया है, नामांकन को निरस्त करना या परिवर्तन उस तारीख से प्रभावी होगा, जिस दिन से इसकी सूचना कंपनी/आरटीए द्वारा दी जाएगी।

## 2.12. आरटीए के संपर्क विवरण का प्रदर्शन

आरटीए अपनी संबंधित वेबसाइटों में अपना पूरा संपर्क विवरण (अर्थात डाक का पता, फोन नंबर और ई-मेल का पता आदि) प्रदान करेंगे। यह सूचीबद्ध कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज (जों) में भी उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें यह सूचीबद्ध है। जब भी कोई परिवर्तन होगा, आरटीए उसे तत्काल अद्यतन करने की व्यवस्था करेगा।

## 2.13. एक बार में आरटीए द्वारा सभी आपत्तियां

शिकायतों या सेवा अनुरोध पर कार्रवाई करते समय, आरटीए सभी आपत्तियां, यदि कोई हो/बिल्कुल, केवल एक उदाहरण में करेगा; अतिरिक्त जानकारी केवल धारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/विवरणों में किसी कमी/विसंगति के मामले में मांगी जा सकती है।

## 3. प्रश्नों, शिकायतों और सेवा अनुरोध को संसाधित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरफ़ेस

3.1. हार्ड कॉपी के माध्यम से प्रश्नों, शिकायतों और सेवा अनुरोध का जवाब देने के अलावा, आरटीए ई-मेल के माध्यम से प्राप्त की गई प्रक्रिया को भी संसाधित करेगा, बशर्ते कि यह धारक के ई-मेल पते से प्राप्त हो, जो पहले से ही आरटीए के साथ पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त, सेवा अनुरोधों के मामले में, प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में धारक(कों) /दावेदार(रों) के ई- साइन होने चाहिए।

### 3.2. आरटीए के सेवा पोर्टल के माध्यम से

यदि आरटीए अपने पोर्टल के माध्यम से सेवा अनुरोध के ऑनलाइन प्रक्रिया की पेशकश कर रहा है, तो धारक लॉगिन और पासवर्ड के लिए उपयुक्त क्रेडेंशियल का उपयोग करके इस पोर्टल के माध्यम से अपना अनुरोध या शिकायत दर्ज कर सकता है। प्रस्तुत दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों में ई-साइन होना चाहिए।

आरटीए तेजी से प्रोसेसिंग के लिए धारक / दावेदार के साथ संवाद करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक / ऑनलाइन मोड का भी उपयोग करेगा।

## 4. भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना

4.1. सूचीबद्ध कंपनी में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए आरटीए को निम्नलिखित दस्तावेज/विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा;

क) पैन

ख) नामांकन (सभी पात्र फोलियो के लिए)

नामांकन ब्यौरे का विवरण हार्ड कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से ई- साइन के साथ, प्रत्येक कंपनी के लिए अलग से, निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाएगा;

i. दोनों में से एक,

- कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 19 (1) में दिए गए अनुसार [फॉर्म एसएच-13](#) के माध्यम से नामांकन या
- [फॉर्म आईएसआर-3](#) के अनुसार 'ऑफ्ट-आउट की घोषणा'

ii. द्वितीय [फॉर्म एसएच-14](#) के माध्यम से धारक(ओं) द्वारा नामांकन निरस्त करने के मामले में, धारक(कों) द्वारा 'ऑफ्ट-आउट की घोषणा' प्रदान की जाएगी।

iii. प्रतिभूति धारक (कों) [फॉर्म एसएच-14](#) के माध्यम से अपना नामांकित व्यक्ति बदल सकते हैं सूचीबद्ध कंपनियों, आरटीए और स्टॉक एक्सचेंज इन तीनों फॉर्मों को अपनी-अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगे।

ग) संपर्क विवरण

पिन के साथ डाक का पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल का पता

आरटीए फोलियो नंबर धारक द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल नंबर और ई-मेल के पते से प्राप्त करेगा, ताकि उसे मान्य किया जा सके।

घ) बैंक खाता विवरण (बैंक का नाम और शाखा, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड)

बैंक विवरण प्राप्त होने या अद्यतन होने पर, आरटीए स्वतःप्रेरणा से, धारक के सभी पैसे / पिछले गैर दावाकृत भुगतान / असफल थे, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान करेगा।

ङ) नमूना हस्ताक्षर

4.2. इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से, आरटीए, धारक(कों) / दावेदार(रों) से किसी सेवा अनुरोध या शिकायत को संसाधित करते समय, जहां कहीं भी फोलियो में उपलब्ध नहीं है, दस्तावेज/पैन के विवरण, केवाईसी विवरण और नामांकन प्राप्त करेगा।

## 5. पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना फोलियो को फ्रीज करना

5.1. जिन फोलियो में उद्धृत दस्तावेज/विवरणों में से कोई एक अप्रैल 01, 2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।

5.2. अवरोधित फोलियो में प्रतिभूतियां होंगी

क) उपरोक्तानुसार पूर्ण दस्तावेज/विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से शिकायत दर्ज करने या सेवा अनुरोध प्राप्त करने के लिए पात्र होगा

ख) केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित किसी भी भुगतान के लिए पात्र और धारक को आरटीए से एक सूचना कि उपरोक्त ऐसा भुगतान देय है और उपरोक्त पैराग्राफ 4 में आवश्यकताओं का अनुपालन करने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

ग) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और या धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत आरटीए/सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रशासन प्राधिकारी द्वारा संदर्भित, यदि वे 31 दिसंबर, 2025 तक अवरोधित रहते हैं

5.3. आरटीए अवरोधित फोलियो को सामान्य स्थिति में वापस कर देगा

क) उपरोक्त पैरा 4 में दिए गए सभी उपरोक्त दस्तावेजों/विवरणों की प्राप्ति या

ख) ऐसे फोलियो में सभी प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण

**6. सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों द्वारा पैन और आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ना**

6.1. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), अधिसूचना एस.ओ. 3814 (ई) दिनांक 17 सितंबर, 2021 ने पैन को आधार संख्या से जोड़ने की तिथि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है। सेबी ने 03 सितंबर, 2021 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें सलाह दी गई थी कि

- क) नए खाते खोलते समय मध्यवर्ती संस्थाएँ उक्त तिथि से केवल वैध पैन स्वीकार करते हैं
- ख) मौजूदा निवेशक सीबीडीटी द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक करें।

6.2. तदनुसार, 31 मार्च, 2022 या सीबीडीटी द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तिथि से, आरटीए

ग) केवल वैध पैन स्वीकार करें और

घ) यह भी सत्यापित करें कि मौजूदा फोलियो में पैन वैध है; यानी क्या यह धारक के आधार नंबर से जुड़ा है। इस संबंध में, आरटीए आईटीडी के सेवा प्रदाताओं से पीबीवी सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

6.3. जिन फोलियो में पैन मार्च, 31, 2022 की अधिसूचित कट-ऑफ तिथि या सीबीडीटी द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तिथि के अनुसार मान्य नहीं हैं, उन्हें भी अवरोधित किया जाएगा, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 5 में वर्णित है।

**7. प्रतिभूति धारकों को सूचना**

सूचीबद्ध कंपनियां, आरटीए और स्टॉक एक्सचेंज सभी सूचीबद्ध कंपनियों के भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों की आवश्यकता को उनकी संबंधित वेबसाइटों पर वैध पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए प्रसारित करेंगे। सूचीबद्ध कंपनियां भी अपने प्रतिभूति धारकों को सीधे उन फोलियो के बारे में सूचित करेंगी जो अधूरे हैं अर्थात् उपरोक्त आवश्यकता।

8. यह परिपत्र 01 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा और इस संबंध में इसके प्रावधान सेबी के पिछले परिपत्रों के प्रावधानों का स्थान लेंगे।

9. आरटीए इस परिपत्र के 45 दिनों के भीतर, इस परिपत्र के प्रावधानों का पालन करने के लिए किए गए परिवर्तनों, स्थापित प्रणालियों/नई संचालन प्रक्रियाओं को लागू करने आदि को प्रमाणित करते हुए, एक पेशेवर कंपनी सचिव से अनुपालन का प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे।

10. निक्षेपागारों को निम्न के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी जाती है;

10.1. इस परिपत्र के प्रावधानों को लागू करें / प्रासंगिक उप-नियमों / व्यापार नियमों / विनियमों / परिचालन निर्देशों में आवश्यक संशोधन(नों) करें, जैसा भी मामला हो,

10.2. इस परिपत्र के प्रावधानों को उनके संघटकों के ध्यान में लाएं और

10.3. इस परिपत्र को अपनी वेबसाइट पर प्रसारित करें।

11. स्टॉक एक्सचेंजों को सलाह दी जाती है कि;

11.1. उन पर लागू इस परिपत्र के प्रासंगिक भाग (ओं) का अनुपालन करें,

11.2. इस परिपत्र के प्रावधानों को सूचीबद्ध कंपनियों के ध्यान में लाएं और

11.3. इसे अपनी वेबसाइटों पर प्रसारित करें।

12. यह परिपत्र निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है, जो प्रतिभूतियों में और प्रतिभूति बाजारों के विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण विनियम) 2015 के विनियम 101 के साथ पठित है।

यह परिपत्र सेबी की वेबसाइट [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in) पर उपलब्ध है।

भवदीय,

मंजेश रॉय एस.

महाप्रबंधक

दूरभाष: 022 - 2644 9710 एवं 4045 9710

ईमेल आईडी: [manjeshsr@sebi.gov.in](mailto:manjeshsr@sebi.gov.in)